नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 04.01.2023 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक) हेतु बाह्य न्यायालय सिविल जज जू०डि० हसनपुर में नवनिर्मित न्यायालय भवन में फोटो स्टेट, फोटोग्राफिंग व कम्प्यूटर टाईपिंग तथा कैंटीन के ठेको की नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के आधार पर दिनांक 16.01.2023 को जिला न्यायालय परिसर स्थित वीडियो कान्फ्रेन्स रूम में समय शाम 04:00 बजे की जानी है। बाह्य न्यायालय हसनपुर में स्थित दुकानों/स्टालों तथा नीलामी की शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	दुकान/स्टाल का नाम	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दुकानों की नीलामी हेतु न्यूनतम बोली
1	फोटो स्टेट	1448 /- रूपये	14482/-रूपये
2	फोटोग्राफिंग	1448 /-रूपये	14482 /-रूपये
3	कम्प्यूटर टाईपिंग	1448 /-रूपये	14482 /-रूपये
4	कैन्टीन	3087 /-रूपये	30865 /-रूपये

नीलामी की शर्ते व नियम -

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 31 मार्च 2024 तक रहेगी।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 13.01.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर शाम 04:00 बजे तक नीलामी में सम्मिलित होने के लिए जनपद न्यायालय अमरोहा में उपस्थित हो सकते है।
3. न्यायालय परिसर में नशीली एवं अन्य अवैध वस्तुऐं नही बेची जायेंगी।
4. ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाए एवं स्टॉल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्था स्वंय करेगें।
5. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/- रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।
7. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रुप में नाम व पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा कि धनराशि जमा न होने पर जमानतदारों से धनराशि वसूल की जायेगी।
8. यदि एक बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टाल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टाल के लिए अलग अलग धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नही मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके कि धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।
10. किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नही की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम किस्त जमा करने के उपरांत ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2024 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेगा एवं भूमि का कब्जा सिविल जज जू०डि० हसनपुर को उसी अवस्था में देगा जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।
12. सफल बोलीदाता की धरोहर धनराशि चतुर्थ त्रैमास कि किश्त में समायोजित की जायेगी।
13. आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति के व्यक्तियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर माननीय जिला न्यायालय महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
14. प्लास्टिक, पालिथीन, धूम्रपान की वस्तुए, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशीले पदार्थ न्यायालय परिसर हसनपुर में पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
15. प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकोदार को केन्द्रीय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा के उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल एवं अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छाया प्रति केन्द्रीय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी।
16. खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकती है। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त

करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रहेगा।

17. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/AA दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नही करेगा।

18. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते है एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते है।

05/01/2023

(एस०पी० सिंह)
अध्यक्ष
नीलामी समिति जिला न्यायालय अमरोहा/
अपर जिला न्यायाधीश कक्ष संख्या-04